

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) नावां जिला डीडवाना-कुचामन
(कोर्ट कैम्प उप तहसील लूणवां दिनांक 27.02.2025)

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती जीतू कुलहरी (आर.ए.एस.)

प्रा.पत्र दर्ज दिनांक 27.02.2025

प्रार्थना पत्र अधीन धारा-136 भू राजस्व अधिनियम 1956

- :: आदेश :: -

दिनांक : 28.02.2025

निम्न प्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के लिए प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर. एल.आर. एक्ट में प्रस्तुत कर प्रार्थी स्वयं का नाम, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान एवं हिस्सा दुरुस्ती इत्यादि दुरुस्त करवाने का निवेदन किया गया। जिसके संलग्न दस्तावेज यथा-नकल जमाबंदी, जन आधार, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, इत्यादि के आधार पर एवं मुताबिक रिपोर्ट संबंधित पटवारी हल्का, संबंधित भू.अ. निरीक्षक/तहसीलदार/नायब तहसीलदार मारोठ की अभिशंका पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम शुद्ध/दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

प्रार्थना संख्या	नाम प्रार्थी	ग्राम का नाम/पटवार हल्का	खाता संख्या	खसरा नं.	अशुद्ध नाम/प्रविष्टि	शुद्ध व दुरुस्त किये जाने वाला इन्द्राज
54/2025	गोपाललाल पुत्र नाथूराम	लूणवां/लूणवां	19	200, 226, 252, 253, 255	गोपालसिंह पुत्र नाथू	गोपाललाल पुत्र नाथूराम
55/2025	जयसिंह पुत्र नारायणसिंह सा. लूणवां	शेरपुरा/लूणवां	23	271, 272, 295, 297	जयसिंह पुत्र नारायणसिंह सा. भादवा	जयसिंह पुत्र नारायणसिंह सा. लूणवां
56/2025	हीरादेवी पत्नी पेमाराम	वावड़ी/शिमभूपुरा	93	1 से 4, 122, 123,	हीरादेवी पत्नी भूराराम	हीरादेवी पत्नी पेमाराम

नोट - संबंधित खाता/खसरान नं. के रहन होने की स्थिति में संबंधित बैंक आदेशानुसार अपने रिकॉर्ड को अद्यतन करे।

यह आदेश आज दिनांक 28/02/2025 को मेरे द्वारा मजमें आम सुनाया गया।

(जीतू कुलहरी RAS)
उपखण्ड अधिकारी नावां
(डीडवाना-कुचामन)

दिनांक : 28.02.2025

क्रमांक : राजस्व/कोर्ट/2025/21

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को पालनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है

1. तहसीलदार नावां/उप तहसीलदार मारोठ/लूणवां को भेजकर लेख है कि राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे।
2. संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संबंधित प्रार्थी को सूचनार्थ।

(जीतू कुलहरी RAS)
उपखण्ड अधिकारी नावां
(डीडवाना-कुचामन)